न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 69/2024
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/171

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
नाजुदेवी पुत्री माधाराम पत्नी मोटाराम, जाति–कलबी, निवासी–डुंगरा का गोलिया, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर वगैरह	निम्बाराम पुत्र वीरमाराम, जाति–कलबी, निवासी–डुंगरा का गोलिया, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 03.09.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 34 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जोधाराम चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3 की ओर से पुरूषोत्तम दवे उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 37 की ओर से लाधुसिंह किलवा व प्रकाशचन्द्र पुरोहित उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 24.06.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा डुंगरा का गोलिया में खेत खसरा नंबर 1649 रकबा 2.82 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1650 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3899/1651 रकबा 1.728 हैक्टैयर, खसरा नंबर 3901/1652 रकबा 1.782 हैक्टेयर कुल रकबा 7.83 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नंबर 206 है। इसी प्रकार इसी ग्राम डुंगरा का गोलिया के वर्तमान खसरा नंबर 02 रकबा 2.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 22 रकबा 2.41 हैक्टेयर कुल रकबा 4.65 हैक्टेयर जिसका पुराना खसरा नंबर 2 मी था तथा मौजा सांचौर के खसरा नंबर 320/2986 रकबा 0.06 हैक्टैयर, खसरा नंबर 321 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 322 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 323 रकबा 3.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 324 रकबाा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नंबर 325 रकबा 2.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 326 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 327 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 328/2985 रकबा 0.27 हैक्टेयर खसरा नंबर 333/2984 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल रकबा 9.17 हैक्टेयर जिसका पुराना खसरा नंबर 124 था जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 12 की पैतृक संपति के खेत है जिसमें प्रार्थीगण को जन्मसिद्ध अधिकार से खातेदारी की उदघोषणा का वाद पेश है। मौजा सांचौर के पुराने खेत खसरा नंबर 124 से सम्बन्धित खसरा नंबर 320/2986 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 321 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 322 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 323 रकबा 3.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 324 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नंबर 325 रकबा 2.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 326 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 327 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 328/2985 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

333/2984 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल रकबा 9.17 हैक्टेयर में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 का 1/4 हिस्सा पैतृक हकों का है जिसमें प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 का 1/6, 1/6 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 03 व 04 का 1/6 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 10 का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 11 व 12 का 1/6 हिस्सा पैतृक हकों का है तथा मौजा डुंगरा का गोलिया के नवीन खसरा नंबर 2,22 कुल रकबा 4.65 हैक्टेयर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 12 के पैतृक हकों का है जिसमें अर्थात् 4.65 हैक्टेयर में प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 का 1/6, 1/6 हिस्सा प्रार्थीगण संख्या 03 व 04 का 1/6 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 का 1/6 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 10 का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 11 व 12 का 1/6 हिस्सा पैतृक हकों का है तथा मौजा डूंगरा का गोलिया के पुराने खसरा नंबर 206 से नवसृजित खसरा नंबर 1649 रकबा 2.82 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1650 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3899/1651 रकबा 1.728 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3901/1652 रकबा 1.782 हैक्टेयर कुल रकबा 7.83 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 का 1/6, 1/6 हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 03 व 04 का 1/6 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 10 का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 11 व 12 का 1/6 हिस्सा पैतृक हकों का है जो प्रार्थीगण का जन्मसिद्व अधिकार होने से प्रार्थीगण को जन्म से ही खातेदारी अधिकार हासिल हो गये है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा डूंगरा का गोलिया में खेत खसरा नंबर 1649 रकबा 2.82 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1650 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3899/1651 रकबा 1.728 हैक्टैयर, खसरा नंबर 3901/1652 रकबा 1.782 हैक्टेयर कुल रकबा 7.83 हैक्टेयर इसी प्रकार ग्राम डुंगरा का गोलिया के वर्तमान खसरा नंबर 02 रकबा 2.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 22 रकबा 2.41 हैक्टेयर कुल रकबा 4.65 हैक्टेयर तथा मौजा सांचौर के खेत खसरा नंबर 320/2986 रकबा 0.06 हैक्टैयर, खसरा नंबर 321 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 322 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 323 रकबा 3.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 324 रकबाा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नंबर 325 रकबा 2.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 326 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 327 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 328/2985 रकबा 0.27 हैक्टेयर खसरा नंबर 333/2984 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल रकबा 9.17 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो अप्रार्थीगण स्वंय करें एवं न ही अन्य किसी से करावें तथा अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का वाद के अंतिम निस्तारण तक बैचान, रहन, तर्क, वसीयत या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री [illegible] र्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण जारी फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:16 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी मौजा डुंगरा का गोलिया पटवार हल्का सांचौर में आई हुई है मगर उक्त भूमि में स्वर्गीय माधा पुत्र परबता के

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

हम अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 का हक हकूक व कब्जा काश्त है एवं प्रार्थीयागण का उक्त भूमि में कोई लेना देना नहीं है। स्वर्गीय माधा पुत्र परबता को फौत हुए करीबन 70 वर्ष हो चुके है एवं प्रार्थीयागण ने हम अप्रार्थीगण को नाहक हैरान परेशान करने के लिए अब उक्त हस्तगत प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो म्याद बाहर है। हम प्रतिवादीगण स्वर्गीय माधा के जायन्दा पुत्रगण है तथा वादग्रस्त आराजी में हम अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 का स्वर्गीय माधा की फौतेदगी के बाद से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं हम अप्रार्थीगण रेकॉर्डेड खातेदार है एवं मौके पर हमारी रहवासीय ढ़ाणीयां बनी हुई है तथा हम अप्रार्थीगण काश्त काबिज है। ऐसी सुरत में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन हम अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में है यदि प्रार्थीयागण के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन रूपयों पैसों में किया जाना कतई संभवन नहीं होगा। इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज है।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा डुंगरा का गोलिया पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर के खसरा नंबर 1649 रकबा 2.82 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1650 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3899/1651 रकबा 1.728 हैक्टैयर, खसरा नंबर 3901/1652 रकबा 1.782 हैक्टेयर कुल रकबा 7.83 हैक्टेयर तथा इसी ग्राम डुंगरा का गोलिया के खेत खसर नंबर 2 रकबा 2.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 22 रकबा 2.41 हैक्टेयर कुल रकबा 4.65 हैक्टेयर एवं सरहद मौजा सांचौर में खेत खसरा नंबर 320/2986 रकबा 0.06 हैक्टैयर, खसरा नंबर 321 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 322 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 323 रकबा 3.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 324 रकबाा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नंबर 325 रकबा 2.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 326 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 327 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 328/[illegible] रकबा 0.27 हैक्टेयर खसरा नंबर 333/2984 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल रकबा [illegible] हैक्टेयर [illegible] अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:16 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **24.06.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner